



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072022-237599
CG-DL-E-27072022-237599

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3240]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944

No. 3240]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3402(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के अन्नमय्या जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग रायचोटी से वेमपल्ली तक संख्या 440 के कि.मी. 0.00 से 50.00 मोजुदा का उन्नयन दो लेन में हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची
आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-440 पर भूमि का अधिग्रहण ।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जॉयंट कलेक्टर , अन्नमय्या डिस्ट्रिक्ट , रायचोटी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH440 के कि.मी. 0 से 50 तक	आंध्र प्रदेश	अन्नमय्या	रायचोटी लक्कीरेड्डीपल्ली	1 रायचोटी 2 मासपेट 1 बी .येर्रागुडी 2 लक्कीरेड्डीपल्ली 3 अनन्तपुरम 4 मदीरेवुला

[फा. सं. RW/NH-12014/10/2021-AP/Zone-III]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2022

S.O. 3402(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders from Rayachoty to Vempalli road under National Highway No.440 in Km. 0.00 to 50.00 in the district of Annamayya in the State of Andhra Pradesh.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 440 in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	JOINT COLLECTOR , ANNAMAYYA DISTRICT, RAYACHOTY	0 Km. To 50 Km.	ANDHRA PRADESH	Annamayya	Rayachoty Lakkireddypalli	1 Rayachoty 2 Masapet 1 B.Yerragudi 2 Lakkireddypalli 3 Ananthapuram 4 Maddirevula

[F. No. RW/NH-12014/10/2021-AP/Zone-III]

RAJESH GUPTA, Director